वाहन धुलाई में ड्राई वॉश तकनीक का उपयोग क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि पानी की कमी को देखते हुए वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश सेवा फाउंडेशन की जनहित याचिका पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह ड्राई वॉश तकनीक को लेकर विस्तृत शपथ पत्र पेश करें।

जनहित याचिका में अधिवक्ता माही यादव ने अदालत को बताया कि सर्विस स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की धुलाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। एक कार की धुलाई में कम से कम सवा सौ लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में हमेशा पेयजल संकट रहता है। ऐसे में सरकार को यह निर्देश दिए जाए कि वह वाहनों की धुलाई के लिए ड्राई वॉश तकनीक को अनिवार्य करे। इस तकनीक से वाहन पर विशेष प्रकार का फॉम लगाकर बाद में उसे विशेष कपड़े से साफ कर दिया जाता है। इसके जरिए की गई सफाई भी पानी से की गई धुलाई के समान ही होती है। जबकि इस तकनीक में पानी का उपयोग भी नहीं किया जाता।

वाहन धुलाई में ड्राई वॉश तकनीक का उपयोग क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि पानी की कमी को देखते हुए वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश सेवा फाउंडेशन की जनहित याचिका पर दिए है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह ड्राई वॉश तकनीक को लेकर विस्तृत शपथ पत्र पेश करें। जनहित याचिका में अधिवक्ता माही यादव ने अदालत को बताया कि सर्विस स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की धुलाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। एक कार की धुलाई में कम से कम सवा सौ लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में हमेशा पेयजल संकट रहता है। ऐसे में सरकार को यह निर्देश दिए जाए कि वह वाहनों की धुलाई के लिए ड्राई वॉश तकनीक को अनिवार्य करे। इस तकनीक से वाहन पर विशेष प्रकार का फॉम लगाकर बाद में उसे विशेष कपड़े से साफ कर दिया जाता है। इसके जरिए की गई सफाई भी पानी से की गई धुलाई के समान ही होती है।

जयपुर

हाईकोर्ट ने पूछा, वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश टेक्निक का उपयोग क्यों नहीं करते

केन्द्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

लीगल रिपोर्टर | जयपुर

हाईकोर्ट ने देश सहित प्रदेश में पानी की कमी के चलते केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश टेक्निक का उपयोग क्यों नहीं हो रहा। साथ ही प्रार्थी संस्थान को कहा है कि वह ड्राई वॉश टेक्निक के संबंध में शपथ पत्र पेश करें। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश सेवा फाउंडेशन की पीआईएल पर दिया। पीआईएल में कहा कि सर्विस स्टेशन सहित अन्य जगहों पर वाहनों की धुलाई होती है जिसमें एक कार में ही करीब 125 लीटर पानी लगता है। इस तकनीक से वाहन पर विशेष प्रकार का फॉम लगाकर बाद में उसे विशेष कपडे से साफ किया जाता है। यह सफाई भी पानी से की गई धुलाई के समान ही होती है और इसमें पानी का उपयोग भी नहीं होता। प्रदेश में पेयजल संकट है इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वाहनों की धुलाई में ड्राई वॉश टेक्निक का उपयोग अनिवार्य तौर पर चलन में लाया जाए।